

बिहार सरकार

अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०-4/निदे० अनु० जाति राज्य स्कीम(सा० एवं पू०)-182-05/2026-140

प्रेषक,

निदेशक

सेवा में,

संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी,
बिहार।

(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक- 07/09/2026

विषय-वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, महकार, गया, अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए डॉ० अम्बेडकार कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार सामग्री व पूर्तियों मद में ₹2,91,73,400/- (दो करोड़ इक्यानबे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रु०) मात्र के अतिरिक्त राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, महकार, गया, अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए डॉ० अम्बेडकार कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु सामग्री व पूर्तियों मद में ₹986.70 लाख (नौ करोड़ छियासी लाख सत्तर हजार रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति पत्रांक-53 दिनांक-19.05.2026 द्वारा प्रदान की गयी है। स्वीकृत राशि के आलोक में विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय, महकार, गया, अनुसूचित जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनुसूचित जाति के लिए डॉ० अम्बेडकार कल्याण छात्रावासों में आवासित छात्र/छात्राओं को आवासन की सुविधा प्रदान करने हेतु भोजनादि, पोशाक, चौकी, मैट्रेस, डेस्क-बेंच, वाटर-प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल-सामग्री, टी०भी०, पंखा, अग्निशमन यंत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, वार्षिकोत्सव, बागवानी, आउटसोर्स के माध्यम से रखे गये सफाई कर्मी, सुरक्षा गार्ड, रोटरी मेकर, डायरी, आई०डी० कार्ड, कम्प्यूटर आदि का आवश्यकतानुसार आपूर्ति हेतु संलग्न विवरणी के अनुसार कुल राशि ₹2,91,73,400/- (दो करोड़ इक्यानबे लाख तिहत्तर हजार चार सौ रु०) मात्र के अतिरिक्त राशि का आवंटन दिया जाता है।

2- आवंटित राशि का व्यय राज्य स्कीम मद से अनुसूचित जाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उप शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण, लघु शीर्ष-277 शिक्षा, उपशीर्ष-

0101-शिक्षा, विषय शीर्ष-0101.21.01-सामग्री एवं पूर्तिया, मांग संख्या-44, विपत्र कोड-44-2225012770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस आवंटित राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे। इस योजना के लिए संबंधित उप विकास आयुक्त नियंत्री पदाधिकारी होंगे। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नहीं किया जाएगा।

4- राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17-4-98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5- महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा। साथ ही निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6- संबंधित राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए किया जाएगा।

7-राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

8- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,


निदेशक

ज्ञापांक-4/निदे0 अनु0जाति राज्य स्कीम(सा0 एवं पू0)-182-05/2026-140 दिनांक-07/09/2026
प्रतिलिपि-(1) महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(3) संयुक्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/उप निदेशक(मु0), अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग/प्रभारी पदाधिकारी, बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/संबंधित प्रशाखा पदा0, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(4) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त/संबंधित उप निदेशक कल्याण/संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(5) आई0टी0मैनेजर, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक

वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कॉम अन्तर्गत अनु० जाति के आवासीय विद्यालय, महकार, गया, अनु० जाति के आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अनु० जाति के डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद में आवंटित राशि की विवरणी-

विपत्र कोड-44-2225012770101

(राशि रू० में)

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल आवंटित राशि
1	2	3
1	अरवल	70,000
2	औरंगाबाद	70,000
3	बांका	2,80,000
4	बेगूसराय	70,000
5	भागलपुर	4,55,000
6	भोजपुर	2,80,000
7	दरभंगा	2,10,000
8	गया	51,06,000
9	गोपालगंज	4,90,000
10	जहानाबाद	3,50,000
11	जमुई	2,80,000
12	कैमूर (भभुआ)	14,00,000
13	कटिहार	1,40,000
14	किशनगंज	1,40,000
15	लखीसराय	5,60,000
16	मधेपुरा	70,000
17	मधुबनी	70,000
18	मुंगेर	1,40,000
19	मुजफ्फरपुर	70,000
20	नालन्दा	4,20,000
21	नवादा	3,50,000
22	प०चम्पारण	10,00,000
23	पटना	3,50,000
24	पू०चम्पारण	78,400
25	पूर्णियाँ	2,80,000
26	रोहतास	7,00,000
27	सहरसा	70,000
28	समस्तीपुर	1,41,27,000
29	सारण	2,80,000
30	शेखपुरा	7,000
31	सीतामढ़ी	4,90,000
32	सीवान	4,20,000
33	सुपौल	3,50,000
कुल राशि		2,91,73,400

(दो करोड़ इक्यानबे लाख तिहतर हजार चार सौ रू०) मात्र

पत्रांक- 140 दिनांक- 07.09.26 का अनुलग्नक

43/9/26
निदेशक